

					भू-राजस्व 5.10
6	339	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.282	बाबूलाल, पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि0 ग्राम तेलीपुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.78
7	340	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.117	बनवारी गिरधारी ब्रजमोहन, पुत्र लदूर किशन बाई रामेश्वरी पुत्रीयां लदूर जाति रावत नि0 ग्राम तेलीपुरा हि0 1/2 समान भाग जसवन्त सिंह, भगवती प्रसाद, रोशन, गजराज, पुत्रगण अंगद मुल्लो वेबा अंगद जाति रावत नि0 ग्राम तेलीपुरा हि0 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.53
8	341	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.154	रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम रावत नि0 तेलीपुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 5.13
9	342	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.166	महेश पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि0 तेलीपुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 5.14
10	349 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.120	केशवसिंह पुत्र मोतीलाल जाति रावत नि0 तेलीपुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 6.60
11	349 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि		मोहिनी वेबा लोकमन, जगमोहन, तारा, मदनमोहन, राममोहन, पुत्रगण लोकमन, मनीता, अनीता, हेमा, पुत्रीया लोकमन जाति रावत नि0 ग्राम तेलीपुरा हि0 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.59
12	350	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.280	ब्रदी पुत्र मुरली जाति रावत नि0 तेलीपुरा हि0 1/4 लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन, कल्याणी वेबा सरवन, धनतुरी पुत्री सरवन, जाति रावत नि0 तेलीपुरा हि0 1/2 समान भाग, रामनाथ, प्रहलाद, पुत्रगण रघुनन्दन रामनाथी श्रीबाई, पुत्रीयां रघुनन्दन मथुरो वेबा रघुनन्दन जाति रावत नि0 तेलीपुरा हि0 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.00
13	352	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.374	रामचरण पुत्र परमाल जाति गुर्जर हि0 30/98 उम्मेद पुत्र इन्दर कलावती पत्नी ल्होबा जाति गुर्जर नि0 हारकुई हि0 49/98 रमेश, महेश, पुत्रगण जीवनलाल हि0 19/98 जाति गुर्जर नि0 बंडपुरा भू स्वामी भूराजस्व 5.00
14	353	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.061	पृथ्वीराज पुत्र चिम्मन जाति रावत नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.56
15	354	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.451	नरेश, गोरे, लालाराम, भरोषी, बन्टी, पुत्रगण लख्मी रूमाली पुत्री लख्मी जाति रावत भूमि स्वामी भूराजस्व 4.00
16	355	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.057	रामनाथ, किशोर, रामदयाल, विनोद, पुत्रगण चिम्मन रामपति, रामेश्वरी, नरेशी, पुत्रीयां चिम्मन कला वेबा चिम्मन हि0 1/5 करन, कुन्दन, पुत्रगण सामलिया छुट्टो नीवो पुत्रीयां सामलिया हि0 4/5 जाति जाट भूमि स्वामी भू राजस्व 0.037
			योग -	2.553	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

जिला म्योपूर (म. प्र.)

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान: श्योपुर

तारीख: 08/08/2019




(बसंत कुरी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

सू.क./ 0007 /अ-82/भू-अर्जन/2019-20/6258
प्रतिलिपि-

शुयोपुर दिनांक 08/08/2019

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला शुयोपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला शुयोपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम मे मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. शुयोपुर की ओर कलेक्टर जिला शुयोपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत वेबसाईड पर अपलोड हेतु ।


कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला शुयोपुर (म.प्र.)